

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 852 / सेक-2-पॉच-17-1(3)/2014 टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक : 20 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1. With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु याची डा0 प्रेम लाल गुप्ता, डा0 ज्ञान चन्द्र लाल तथा डा0 रमार्शकर बर्नवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांक 21.11.2016, 21.11.2016 तथा 17.11.2016 में आसन्न कनिष्ठ नियम के अधीन सामान्य उपसंवर्ग के कनिष्ठ को प्राप्त प्रदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन हेतु याची डा0 प्रेम लाल गुप्ता व 02 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-328/2017 डा0 प्रेम लाल गुप्ता व 02 अन्य बनाम श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजित किया गया। मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2017 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

" Heard the learned counsel for the applicant.

It is alleged that the order dated 31.7.2015, passed by this Court in Writ Petition No. 42583 of 2015 (Dr. Bhaskar Rai and others Vs. State of U.P and others), has been violated.

From a perusal of the record, a prima facie case for contempt is made out.

Issue notice to opposite party returnable within one month. The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed after summoning the noticee.

However, one more opportunity is granted to the opposite party to comply with the order within a month. In case by the next date fixed the directions of the Writ Court are not complied with and an affidavit to that effect is not filed, the opposite party shall remain present before this Court on the date fixed.

The office may send a copy of this order along with the notice.

List on the date mentioned in the notice."

4- मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत याचीगण को सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 17.02.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा याचीगण के तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर डा० प्रेम लाल गुप्ता (व०क०-4464), डा० ज्ञान चन्द्र लाल (व०क०-4714) को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ डा० सत्येन्द्र कुमार सिंह (वरि०क०-4751) की पदोन्नति की तिथि 14.07.2005 से तथा डा० रमाशंकर बर्नवाल (व०क०-5825) को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ डा० रवि कुमार शर्मा (व०क०-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5- अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ उपसंवर्ग के डा० डा० प्रेम लाल गुप्ता (वरि०क०-4464) एवं डा० ज्ञान चन्द्र लाल (वरि०क०-4714) को लेवल-3 (वेतनमान रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा० सत्येन्द्र कुमार सिंह (वरि०क०-4751) की पदोन्नति तिथि 14.07.2005 से विशेषज्ञ उपसंवर्ग के डा० रमा शंकर बर्नवाल (वरि०क०-5825) को लेवल-3 (वेतनमान रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा० रवि कुमार शर्मा (वरि०क०-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6- अतएव प्रस्तर-2 में उल्लिखित याचीगण के प्रत्यावेदन उपर्युक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

अरुण कुमार सिन्हा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 852 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच।
- 6- कोषाधिकारी, लखनऊ/बहराइच।
- 7- प्रभारी कम्प्यूटर, सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 8- डा० प्रेम लाल गुप्ता पुत्र श्री राम भरोस गुप्ता, 128/1393, वाई-2 ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर।
- 9- डा० ज्ञान चन्द्र लाल पुत्र स्व० श्री रामलखन लाल, म०नं०-506 सेक्टर-8, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 10- डा० रमाशंकर बर्नवाल पुत्र स्व० श्री सूर्य नरायन बर्नवाल, म०नं०-530 सेक्टर-12, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

